तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पैरोकार सरकार उपस्थित है। बहस प्रा० पत्र ए.आई. में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 8.3.2017 को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्तमान में भूमि चारागाह में दर्ज रिकार्ड है जिसमें RT Act 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह भूमि प्रतिबन्धित होने के कारण प्रार्थना पत्र ए.आई. अस्वीकार्य है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब तहसीलदार नैनवां आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस में दिये गए तर्कों पर मनन किया। विवादित आराजी ग्राम रेठोदा की भूमि ख.सं. 116 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि चारागाह मे दर्ज रिकार्ड होने के कारण प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। भूमि चारागाह में दर्ज होने के कारण अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.04.10 16:55:29 IST
Reason: SelfAttested